उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

संख्या- 23/1295/22-4-14-48(12)/05

लखनऊ : दिनांक-03 दिसम्बर, 2014

कार्यालय ज्ञाप

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ के वर्ष 2006 में किय गये मानकीकृत भवनों में आवश्यक संशोधन एवं अमानकीकृत भवनों/संरचनाओं के मानचित्रों के मानकीकरण की वर्तमान आवश्यकताओं के दृष्टिगत संशोधित करते हुए पुनः मानकीकृत कराये जाने तथा नवीन कारागारों में बनने वाले अन्य भवन जो अभी तक मानकीकृत नहीं हैं, उन भवनों को मानकीकृत किये जाने हेतु संस्तुति उपलब्ध कराने एवं मानकीकरण से सम्बन्धित समस्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं को आच्छादित किये जाने हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है। उक्त समिति अपनी रिपोर्ट शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेगी-

1-	महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश -	अध्यक्ष
2-	प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा नामित विशेषज्ञ-	सदस्य
3-	निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम, उ0प्र0-	सदस्य
4-	कारागार सुधार के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाला कोई वास्तुविद/नियोजक-	सदस्य
5-	महानिरीक्षक कारागार, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित कोई अन्य 02 अनुभवी शासकीय/गैर शासकीय विशेषज्ञ/व्यक्ति-	सदस्य
6-	ई-प्रिजन प्रोजेक्ट के कार्यों हेतु एन0आई0सी0 का प्रतिनिधि -	सदस्य

एस0 के0 रघुवंशी

सचिव

पृ0संख्या-1295(1)/22-4-14-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।

3- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम, उ0प्र0, लखनऊ।

4- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)

उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in